

(2)

- 7-राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- 8-विद्यालय का रिकार्ड, निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 9-उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।
- 10-स्कूल सुरक्षा नीति वर्ष 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय पर यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता वरती जाती है तो उक्त प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(प्रेम प्रकाश मौर्य)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
झाँसी मण्डल झाँसी।

पृष्ठांकन सं०/पी०ए०/एन०ओ०सी०/००००-०७ /2024-25 तददिनांक-
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1-सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ०प्र०, शासन, लखनऊ।
- 2-आयुक्त महोदय झाँसी मण्डल झाँसी।
- 3-जिलाधिकारी, झाँसी।
- 4-शिक्षा निदेशक(मा०) उ०प्र०, लखनऊ।
- 5-जिला विद्यालय निरीक्षक, झाँसी।
- 6-निरीक्षक, आंग्ल भाषा विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 7-प्रधान्यक सेंट माइकल स्कूल पुनावली रोड रक्सा-झाँसी।

(प्रेम प्रकाश मौर्य)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
झाँसी मण्डल झाँसी।